ईमेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.4(3)(1)रोल्स / निर्वा / 2013 / 874 जयपुर, दिनांक 18.03.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

विषयः विधानसभा आम चुनाव 2013– प्रचार–प्रसार की जिला स्तरीय कार्य योजना तैयार करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस वर्ष के अन्त में विधानसभा के लिए आम चुनाव सम्पन्न कराए जायेगें। इन आम चुनाव के दौरान राज्य में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने व विधानसभा आम चुनाव से पूर्व राज्य में सभी पात्र व्यक्तियों का मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रचार–प्रसार की कार्य योजना तैयारी की जानी है, जिससे कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शत–प्रतिशत पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके तथा आम चुनाव के दौरान इन्हें प्रेरित कर मतदान प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा क्षेत्रो की मतदाता सूचियों में सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण करने हेतु एवं निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु SVEEP (Systematic Voters Education and Electoral Participation) कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार हेतु कार्य योजना तैयार कर इसकी क्रियान्विति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। विगत् 2–3 वर्षो में पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान SVEEP के अन्तर्गत कार्य योजना बनाकर इसकी विभिन्न स्तरों पर क्रियान्विति की गयी है तथा इसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे है। इसके फलस्वरूप जहॉ जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं का पंजीकरण हुआ है वहीं नवयुवकों के पंजीकरण में भी वृद्धि हुई है। **अर्हता दिनांक 01.01.2013 के संदर्भ में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के ऑकड़ो का विशलेषण करने पर यह स्पष्ट है कि राज्य में अभी भी महिलाओं का पंजीकरण, जनसंख्या की तुलना में कम है जिससे लिगांनुपात में असंतुलन है एवं 18–19 आयु वर्ग के युवाओं का भी निर्धारित अनुपात में पंजीयन नहीं हुआ है, जो कि एक चिन्ता का विषय है तथा विधानसभा आम चुनाव से पूर्व प्रचार प्रसार की कार्य योजना बनाकर वांछित लक्ष्य अर्जित किए जाने है।**

3. वोटर्स टर्न आउट से संबंधित गत् विधानसभा आम चुनाव के ऑकड़ों का विशलेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होगा कि आम चुनाव के दौरान राज्य में पंजीकृत मतदाताओं की तुलना में वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहा है। विधानसभा आम चुनाव 2008 के दौरान 66.49 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा, वर्ष 2003 विधानसभा आम चुनाव के दौरान 67.18 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा तथा वर्ष

1998 के विधानसभा आम चुनाव के दौरान 63.49 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया है। यदि इन ऑकड़ो का और आगे विशलेषण किया जाए तो यह विदित होगा कि आम चुनावों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा पुरूष मतदाताओं की तुलना में मतदान प्रक्रिया में कम संख्या में भाग लिया है। जिलेवार/विधानसभा क्षेत्रवार/मतदान केन्द्रवार इन ऑकड़ो का विशलेषण करते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए जिनमे जिनका मतदान प्रक्रिया के प्रति रूझान कम है तथा इन्हें टारगेट बनाते हुए प्रचार–प्रसार की कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे विधानसभा आम चुनाव के दौरान राज्य के सभी ंपजीकृत मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग लेकर अपने मताधिकारी का प्रयोग करें।

4. उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रचार प्रसार के लिए जिला स्तर पर दो कार्य योजना तैयारी करनी होगी। **प्रथम कार्य योजना** के अन्तर्गत मतदाताओं का पंजीकरण बढ़ाने, उनके पास मतदाता फोटो पहचान पत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करने के विषय में टारगेट ग्रुप चिन्हित कर कार्य योजना तैयार करनी होगी। इसी प्रकार से **द्वितीय कार्य योजना** के अनुसार विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कार्य योजना तैयार करनी होगी। **प्रथम कार्य योजना की अवधि माह अप्रैल, 2013 से प्रारम्भ होकर सितम्बर, 2013 तक रहेगी तथा द्वितीय कार्य योजना की अवधि माह सितम्बर, 2013 से प्रारमभ होकर नवम्बर–दिसम्बर 2013 तक रहेगी अथवा मतदान हेतु निर्धारित तिथि तक रहेगी।**

5. **जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति –** भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला स्तर पर प्रचार प्रसार की क्रियान्वित सुनिश्चित करने हेतु इस कार्य के लिए पृथक से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के निर्देश दिये है। इस विषय में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 491/SVEEP /01/2013/64 दिनांक 01 मार्च, 2013 की प्रति संलग्न की जा रही है जिसमे जिला स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले नोडल अधिकारी की अर्हताएॅ बताई गई है, जिसके अनुसार इसकी नियुक्ति की जानी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उल्लेखित अर्हताएॅ मार्गदर्शन हेतु है, यदि जिला स्तर पर उक्त योग्यता के अनुसार कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो जिले में किसी भी विभाग के ऐसे अधिकारी जो कि इस कार्य से जुड़े हुए है उनमे से सर्वश्रेष्ठ अधिकारी का चयन कर इस कार्य के लिए नियुक्ति की जा सकती है। **जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) नोडल अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक रूप से 20 मार्च, 2013 तक करेगें तथा नोडल अधिकारी के नाम तथा उसकी अर्हताओं आदि का विवरण अंकित करते हुए विभाग को सूचित करेगें। इस विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि विभाग स्तर पर प्रचार–प्रसार की कार्य योजना तैयार करने व राज्य के विभिन्न जिलो में आयोजित होने वाली गतिविधियों का**

पर्यवेक्षण करने एवं निर्देश देने हेतु पृथक से संयुक्त मुख्य निर्वाचान अधिकारी का पद सृजित किया गया है, जो कि प्रचार–प्रसार की योजना की क्रियान्विति को सुनिश्चित करेगें।

6. **प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर की प्रथम कार्य योजना –** जैसा कि उपर के पैरा में उल्लेखित किया गया है कि जिला स्तर पर सर्वप्रथम ऐसी कार्य योजना तैयार की जानी है जिससे कि जिले में मतदाता सूची में सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। इसके सर्वप्रथम जिले की मतदाता सूची के ऑकड़ो का विशलेषण कर यह चिन्हित किया जाए कि किसी वर्ग यथा महिला, युवा व्यक्तियों का मतदाता सूची में पंजीकरण निर्धारित मापदण्ड से कम विधानसभा क्षेत्रवार इस प्रकार के मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर इनके लिए कार्य योजना में विशेष गतिविधियॉ आयोजित किया जना प्रस्तावित किया जाए जिससे जिला स्तर की प्रथम कार्य योजना की अवधि में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार मतदाता सूचियों में पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। उक्त कार्य योजना को तैयार करने के विषय में प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार से है।

6.1 **कार्य योजना की अवधि–** उक्त कार्य योजना माह अप्रैल, 2013 के द्वितीय पखवाड़े से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर, 2013 तक के लिए तिथिवार/माहवार तैयार की जायेगी। कार्य योजना के अन्तर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के विषय में समय निर्धारित किया जायेगा जिससे कि निर्धारित समय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

6.2 **कार्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित की जाने वाली सहयोगी एजेन्सी का चिन्हिकरण –** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जिला स्तर पर विभिन्न सरकारी विभाग जिनके द्वारा की आई.ई.सी से संबंधित गतिविधियॉ व्यापक रूप से की जाती है, एन.सी.सी., भारत स्काउट एवं गाईड, एन.एस.एस. एन.वाई.के.एस., स्थानीय एफ.एम.चैलनस् (यदि काई हो) का चिन्हिकरण सहयोगी एजेन्सी के रूप में करेगें। इसी प्रकार से जिले में संचालित होने वाले सी.एस.ओ.एस., डॉक्टर, आकिटेक्ट, रोटरी क्लब आदि जैसे एसोसिशन/निकायों की सूची भी तैयार करेगें। इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्वयं सहायता समूह आदि का सहायोग भी मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु लिया जायेगा। जिला स्तर पर उच्च शिक्षा से संबंधित संचालित होने वाले विभिन्न महाविद्यालय/विश्वविद्यालय भी सहयोगी एजेन्सी के रूप में चिन्हित कर इनका सहयोग लिया जा सकता है।

6.3 उपरोक्त पार्टनर एजेन्सी चिन्हित करने के बाद प्रचार प्रसार की कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस विषय में कार्य योजना तैयार करने हेतु संलग्न **परिशिष्ट 'ए'** के अनुसार विभिन्न माध्यमों का प्रयोग कर गतिविधियॉ आयोजित की जा सकती है।

7. **<u>प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तर की द्वितीय कार्य योजना</u>** विधानसभा आम चुनाव के दौरान अधिक से अधिक मतदाताओं की मतदान प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रचार प्रसार की

द्वितीय कार्य योजना तैयार की जानी है। इस वर्ष होने वाले विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने हेतु प्रचार प्रसार की एक विशेष कार्य योजना तैयार की जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित कर मतदान के समय मतदान करने हेतु प्रेरित किया जा सके। इस विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

7.1 **कार्य योजना में समिलित की जाने वाले सहयोगी एजेन्सी –** इस विषय में कार्य योजना तैयार करने से पूर्व जिला स्तर पर संचालित होने वाले टीवी चैलनस्, एफ.एम चैनलस्, एन.सी.सी., भारत स्काउट गाईड, एन.एस.एस., एन.वाई.के.एस आदि को एजेन्सी के रूप में चिन्हित कर सूची तैयार की जाए। इसके अतिरिक्त जिले में संचालित होने वाले सी. एस.ओ, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, बिल्डरस्, रोटरी क्लब आदि जैसे ऐसोसियेशन/निकायों की सूची तैयार की जाए। जिससे कि इनके सहयोग से इस विषय में तैयार की गयी कार्य योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित की जाकर मतदाताओं को मतदान क लिए प्रेरित करने के विषय में कार्यवाही की जा सके। उक्त कार्य योजना के अन्तर्ग मतदान दिवस से पूर्व जिला/विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय/बड़े कस्बों में एक इस प्रकार की गतिविधि आयोजित करनी है जिससे आम नागरिको का ध्यान आकर्षित हो एवं इससे प्रेरित होकर वह मतदान करें।

उक्त कार्य योजना तैयार करते समय सहयोगी ऐजेन्सी चिन्हित करते समय सावधानी बरती जाए तथा ऐसी ऐजेन्सी को सूची में सम्मिलित नहीं किया जाए जिसकी राजनैतिक दलो से सहबद्धता है। इस विषय में कार्य योजना तैयार करने हेतु संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

7.2 **कार्य योजना की अवधि –** द्वितीय कार्य योजना की अवधि माह सितम्बर, 2013 से नवम्बर–दिसम्बर, 2013 अथवा मतदान तिथि तक रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत माहवार/तिथिवार कार्यक्रम निर्धारित किए जाने है।

8. **जिला स्तर पर फीड बैक टीम का गठन –** जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना की विभिन्न गतिविधियॉ निर्धारित समय में करवाया जाना सुनिश्चित करेगें। इस विषय में फीड बैक टीम भी गठित करेगें जो कि सर्वे कर फीडबैक प्राप्त करेगी कि कार्य योजना के अनुसार जो सन्देश देने का प्रयास किया गया है वह संबंधित लोगों के पास पहुॅच रहा है या नहीं। यदि इस विषय में किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता हो तो तद्नुसार कार्य योजना को संशोधित किया जा सकता है।

9. **कार्य योजना की मोनीटरिंग –** जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी कार्य योजना की प्रतिदिन नियमित रूप से मोनीटंरिग करेगें तथा इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट विभाग को प्रेषित करेगें।

10.. **जिला निर्वाचन अधिकारी उपरोक्त दोनो बिन्दुओं पर पृथक से कार्य योजना तैयार कर दिनांक 31 मार्च, 2013 तक विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें जिससे की विभाग स्तर पर इसका परीक्षण किया जाकर इसका अनुमोदन एवं बजट आवंटन प्रावधान करने के विषय में कार्यवाही की जा सके।**

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(1)रोल्स/निर्वा/2013/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः समस्त संभागीय आयुक्त (रोल पर्यवेक्षक) को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, सरकार

प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय प्रथम कार्य योजना

परिशिष्ट 'ए'

(मतदाता सूची में पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण संबंधित)

अप्रेल, 2013 से सितम्बर, 2013 तक

क्र. सं.	पार्टनशिप एजेन्सी/कार्यालय/संस्थान का नाम	की जाने वाली गतिविधियॉं	समय
1.	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्वयं सहायकता समूह आदि महिलाओं से संबंधित ऐजन्सी से व्यक्तिगत संवाद कर प्रेरित करेगी।	महिलाओं को मतदाता सूची में पंजीकरण करवान हेतु व्यक्तिगत संवाद कर प्रेरित करेंगी एवं रेली आयोजित करना	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
2.	जिला स्तर पर संचालित कॉलेज/विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी	मतदाता सूची में युवाओं के पंजीकरण हेतु शिविर आयोजित करना	जुलाई, 2013 से सितम्बर, 2013 के मध्य
3.	शहरी क्षेत्रों में पीआरओ एवं ग्रामीण क्षेत्र में डीएवीपी की जिला ईकाईयों के माध्यम से प्रचार–प्रसार	फोटो प्रदर्शनी, लघु फिल्मों का प्रसारण, स्कूलों में वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
4.	जिला निर्वाचन अधिकारी/जनसम्पर्क अधिकारी	नुक्कड़ नाटक/कठपुतली शो का आयोजन	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
5.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) एवं संबंधित संस्थाओं के प्रधान	स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय आदि में पंजीयन बढ़ाने से संबंधित विषयों पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, पेन्टिग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि का आयोजन	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
6.	भारत स्काउट गाईड, एन.सी.सी.,एन.एस.एस., शैक्षणिक संस्थान, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	प्रभात फेरी, रेलियों का आयोजन	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
7.	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधान	संकल्प पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं के माध्यम से संकल्प पत्र (शपथ)पत्र भरवाना	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
8.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेकटर)	पोस्टर, पेम्पलेट, होर्डिग्स आदि लगाया जाना	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
9.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेले आदि में फोटो प्रदर्शनी एवं मतदाताओं की समस्याओं से संबंधित शिविर लगाया जाना	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
10.	स्थानीय/इलैक्ट्रोनिक मीडिया/जिला निर्वाचन अधिकारी	लघु फिल्म, टीवी स्क्रोल आदि का प्रसारण, इसके साथ–साथ समय –समय पर वार्ताओं का प्रसारण	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
11.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी	प्रत्येक पंचायत स्तर पर मतदाता सूचियों का प्रदर्शन एवं मतदाता सहायकता शिविर लगाया जाना, जिसमे आवेदन पत्र भी प्राप्त किये जा सकते है।	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
12.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर),	सिनेमा हॉल में लघु फिल्म एवं सिनेमा स्लाईटस का प्रदर्शन	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
13.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), एवं संस्था के नोडल अधिकारी	महाविद्यालयों में युवाओं के मतदाता सूची में पंजीयन हेतु शिविर आयेाजित करना	जुलाई 2013 से सितम्बर, 2013 तक

14.	जिला निर्वाचन अधिकारी/पीआरओ	निर्वाचन विभाग से संबंधित कॉल सेन्टर, सर्च फसेलिटि, एस.एम.एस. के माध्यम से की गई सुविधाओं का प्रेस नोट जारी कर प्रचार–प्रसार	अप्रैल 2013 से सितम्बर, 2013 तक
15.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग	अप्रैल,2013 से प्रत्येक सप्ताह में एक दिन नियमित कर प्रेस बीफिंग

नोटः दूरस्थ ग्रामीण स्तर तक के मतदाताओं तक संदेश पहुॅचाने के लिए कार्ययोजना में गतिविधियों का समावेश करें

प्रचार–प्रसार हेतु जिला स्तरीय द्वितीय कार्य योजना

परिशिष्ट 'बी'

(मतदान के लिए प्रेरित एवं मतदान प्रक्रिया की जानकारी संबंधित

अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक

क्र. सं.	पार्टनशिप एजेन्सी / कार्यालय / संस्थान का नाम	की जाने वाली गतिविधियॉ	समय
1.	ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता, स्वयं सहायकता समूह	मतदान के लिए व्यक्तिगत संवाद एवं रैली आयोजित कर प्रेरित करेंगी।	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
2.	जिला स्तर पर संचालित कॉलेज / विश्वविद्यालय के संस्था प्रधान एवं जिला निर्वाचन अधिकारी	वाद विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, प्रश्नोत्तरी एवं फोटो प्रर्दशनी का आयोजन	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
3.	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला इकाईयों एवं जिला जन सम्पर्क कार्यालय	फोटो प्रदर्शनी, लघु फिल्मों का प्रसारण, स्कूलों में वाद–विवाद, निबन्ध लेखन, प्रश्नोत्तरी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
4.	जिला निर्वाचन अधिकारी / जनसम्पर्क अधिकारी	नुक्कड़ नाटक / कठपुतली शो का आयोजन	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
5.	भारत स्काउट गाईड, एन.सी.सी.,एन.एस.एस., शैक्षणिक प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, संस्थान प्रमुख एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	प्रभात फेरी, रेलियों का आयोजन	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
6.	जिला निर्वाचन अधिकारी एवं शैक्षणिक संस्थान प्रधान	संकल्प पत्र के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले छात्र / छात्राओं के माध्यम से संकल्प पत्र (शपथ) पत्र भरवाना	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
7.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेकटर)	पोस्टर, पेम्पलेट, होर्डिग्स आदि लगाया जाना	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
8.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेले आदि में फोटो प्रदर्शनी से इ.वी.एम. से मतदान की जानकारी, आदर्श आचार संहिता एव 49–ओ के संबंध में शिविर लगाया जाना	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
9.	स्थानीय / इलैक्ट्रोनिक मीडिया / जिला निर्वाचन अधिकारी	लघु फिल्म, टीवी स्क्रोल एवं वार्ताओं का प्रसारण	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
10.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर),	सिनेमा हॉल में लघु फिल्म एवं सिनेमा स्लाईटस का प्रदर्शन	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
11.	जिला निर्वाचन अधिकारी / पीआरओ	निर्वाचन विभाग से संबंधित कॉल सेन्टर, सर्च फसेलिटि, एस.एम.एस. के माध्यम से की गई सुविधाओं का प्रचार–प्रसार	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक
12.	जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर)	नियमित रूप से प्रेस ब्रीफिंग	अक्टूबर, 2013 से मतदान दिवस तक

नोटः दूरस्थ ग्रामीण स्तर तक के मतदाताओं तक संदेश पहुॅचाने के लिए कार्ययोजना में गतिविधियों का समावेश करें

By E-Mail/FAX/Speed Post

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

तारः निर्वायोग
नई दिल्ली
GRAM: LECOM
NEW DELHI

वेबसाइट / Website: www.eci.nic.in ई - मेल / E-mail: sumands34@gmail.com फोन /Phone: 011-23052082

फैक्स / FAX: 011-23052082

No. 491/SVEEP/01/2013 **Dated: 1st March, 2013**

To,

The Chief Electoral Officers of
Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and NCT ofDelhi,

Subject: Commission's review with the CEOs of Chhattisgarh, Karnataka, Madhya Pradesh, Mizoram, Rajasthan and Delhi, on 27th February 2013.

Sir,

In fulfilling of directions given by the Commission in the aforesaid meeting, I am directed to say that an exclusive Nodal Officer may be identified and designated in each District of your State for SVEEP related work in view of the forthcoming election, as per the model followed by CEO, Gujarat. The Officer may be nominated / selected by the District Election Officer concerned taking into consideration the desirable (not compulsory) qualification for the purpose annexed with this letter.

Yours faithfully,

(SUMAN KUMAR DAS)
UNDER SECRETARY.

Following will be desirable:

1. Work experience in information / development communication / social sector campaign / social marketing.

2. Experience in project handing and quantitative monitoring and reporting.

3. Good overall communication skills and oral & computer skills.

4. Ph. D /PG degree in social Sciences / Mass Communication

4. Knowledge of A V Media, advertising & Media relations.